'217220/2024

प्रेषक,

अतर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1—उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
2—उपाध्यक्ष, हरिद्वार—रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
3—संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
4—उपाध्यक्ष, समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।

आवास विभाग—2 देहरादून, दिनांकः 11 जून, 2024।

विषयः विभागीय पत्राचार ई—ऑफिस/ईज—एप के माध्यम से किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के विभिन्न आदेशों के माध्यम से विभागीय कार्य प्रणाली में दक्षता एवं पारदर्शिता लाने, राजकीय कार्यों को त्वरित गति से निष्पादित करने, पेपर लैस कार्य—प्रणाली को प्रोत्साहित किये जाने हेतु विभागीय स्तर पर ई—ऑफिस प्रणाली को अपनाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के दृष्टिगत आवास विभाग के पत्र संख्या—129582/2023, दिनांकः 13.06.2023 के द्वारा ई—ऑफिस प्रणाली का सम्यक् उपयोग करते हुए दिनांकः 20.06.2023 के पश्चात् किसी भी दशा में पत्रों एवं अभिलेखों को भौतिक रूप में संचालित न किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

2— यह संज्ञान में आया है कि प्राधिकरणों के स्तर पर ई—ऑफिस के माध्यम से कार्यवाही किये जाने को गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है तथा भौतिक रूप में ही शासन एवं कार्यालयों के मध्य पत्राचार किया जा रहा है।

3— उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि कृपया दिनांकः 01 जुलाई, 2024 के उपरांत राज्य प्राधिकरण, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग तथा अन्य प्राधिकरणों स्तर से शासन को ई—ऑफिस/ईज—एप के माध्यम से पत्राचार किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। इसी प्रकार राज्य प्राधिकरण, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून तथा प्राधिकरणों के मध्य होने वाला पारस्परिक पत्राचार भौतिक रूप में कदापि न किया जाय। यह स्पष्ट करना है कि उक्त तिथि के उपरांत शासन में भौतिक रूप में प्राप्त होने वाले पत्रों पर किसी भी दशा में अग्रेत्तर कार्यवाही नहीं की जाएगी।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

Signed by Atar Singh
Date: 11-06-2024 15:12:09

(अतर सिंह)
अपर सचिव।